अर्जुन पिता दापा जाति गंवार निवासी सुवाणिया तहसील बेगूं

वादी

बनाम

1. श्रीमति प्रेमबाई पति सोजीराम गंवार निवासी दुधियाखेडी तहसील व थाना बिजोलिया जिला भीलवाडा
2. गुड्डी बाई पत्नी सरदार गंवार निवासी नयागांव थाना रतनगढ तहसील जावद जिला नीमच (म.प्र.)
3. तहसीलदार भूमिधारी तहसील कार्यालय, बेगूं जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 14.12.2020

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु चतुर्वेदी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा सुवाणिया प०ह० सुवाणिया में वादी की स्वामित्व की खातेदारी की कृषि आराजीयात दर्ज रेकार्ड है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर मे
03	256	0.4200
	257	0.0800
	258	0.1100
	259	0.6100
	260	0.6500
	262	0.5200
	किता–6	2.3900 हैक्टर

यह कि उक्त खातेदारी की कृषि आराजी पर वादी निरंतर बहैसियत खातेदार मालिक के निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। उक्त आराजी का वादी के एक मात्र आजीविका का साधन है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आये दिन वादी के खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर वादी को ऐलानिया तौर पर जबरन कब्जा छीनने एवं भूमि हडपने की धमकियां देती रहती है जिससे वादी स्वतंत्र रूप से खेती नहीं कर पा रहा है।

यह कि दिनांक 20.05.2016 को प्रतिवादीगण दोनो ही सामाजिक कार्यक्रम में ग्राम सुवाणिया आई थी जो कि मुझ वादी की कृषि आराजी पर जबरन घुस आयी और मुझ वादी द्वारा आवश्यक कृषि कार्य करते समय धमकियां दी कि इस जमीन पर हमारा अधिकार है और हम कब्जा करके ही रहेगे तथा दो तीन दिन में हम ट्रेक्टर लेकर आयेगी और ट्रेक्टर से जमीन को हांक कर रहेगी, यदि तुमने हमे रोका तो तुम्हारे परिवार वालो को झूठे बालात्कारी के प्रकरण में फंसा देगी तथा हम खून खराबा कर जमीन को छीन कर रहेगी। प्रतिवादीगण की उक्त धमकियों से वादी अपने कृषि आराजीयात पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है , इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वो वादी के स्वतंत्र कब्जे काश्त की आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार बाधा विध्न ना तो स्वयं करें ना ही अपने नौकर एजेन्ट ,रिश्तेदार आदि से करावें। वादी का यह वाद पत्र इस कारण न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

वाद कारण दिनांक 20.05.2016 को प्रतिवादीगण [illegible] की आराजी में जबरन प्रवेश कर कब्जा करने एवं खून खराबा की धमकि[illegible] है। वाद वर्णित कृषि आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधि[illegible] श्रवणाधिका[illegible] होने से वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:43:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादी का [illegible] पत्र स्वकार फरमा निम्न[illegible] की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें:–

(क) कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित वादी की खातेदारी की कृषि आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा एवं दखलंदाजी न तो स्वयं उत्पन्न करें और ना ही अपने नौकर ऐजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से प्रदान कराया जावें।

उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने के उपरान्त वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद पत्र में प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दावा पत्रावली में पारित किये , इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार, बेगूॅ द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार, बेगूॅ का जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के उपस्थित नहीं आने एवं प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी का जवाब बंद किये जाने पर वादी की ओर से एक तरफा साक्ष्य वादी हेतू शपथ पत्र वादी अर्जुन गंवार द्वारा प्रस्तुत करते हुए दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी व नक्शाद्रेस को प्रदर्श करा अपने बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने पर दावा पत्रावली में एक तरफा बहस अधिवक्ता वादी की ध्यान पूर्वक सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद वर्णित कृषि आराजीयात जो कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात होना बताते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया । पत्रावली में अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को सुने जाने के पश्चात पत्रावली में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– 1 नक्शाद्रेस व प्रदर्श– 2 नकल जमाबंदी मौजा सुवाणिया सं0 2072 से 75 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि मौजा सुवाणिया की आराजी संख्या 256, 257, 258, 259, 260, 262 किता–6 कुल रकबा 2.3900 हैक्टर भूमि वादी श्री अर्जुन पिता दीपा गंवार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है, चूॅकि भूमि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त में स्थित है, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वादी की कृषि आराजीयात में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा सुवाणियां प0ह0 सुवाणियां की आराजी संख्या 256, 257, 258, 259, 260, 262 किता–6 कुल रकबा 2.3900 हैक्टर भूमि में ना तो स्वयं दखलंदाजी करें ना ही अपने नौकर,एजेन्ट एवं रिश्तेदारो से दखलंदाजी नहीं करावें। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूॅ जिला चितौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:43:44 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर.ए.एस.

दावा संख्या : 79/2016

अर्जुन पिता दीपा जाति गंवार निवासी सुवाणिया तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. श्रीमति प्रेमबाई पति सोजीराम गंवार निवासी दुधियाखेडी तहसील व थाना बिजोलिया जिला भीलवाडा
2. गुड्डी बाई पत्नी सरदार गंवार निवासी नयागांव थाना रतनगढ तहसील जावद जिला नीमच (म.प्र.)
3. तहसीलदार भूमिधारी तहसील कार्यालय, बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता वादी श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 14.12.2020 को पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा सुवाणियां प0ह0 सुवाणियां की आराजी संख्या 256, 257, 258, 259, 260, 262 किता–6 कुल रकबा 2 .3900 हैक्टर भूमि में ना तो स्वयं दखलंदाजी करें ना ही अपने नौकर,एजेन्ट एवं रिश्तेदारो से दखलंदाजी नहीं करावें। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:43:44 IST
Reason: SelfAttested

(मनीष कुमार जाटव)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।